

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना।
अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर, भोजपुर
सभी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार) —

पटना, दिनांक 03-10-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹10,44,38,616/- (दस करोड़ चौवालीस लाख अड़तीस हजार छः सौ सोलह रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड में विभागीय आवंटनादेश संख्या-11(7)ब दिनांक-14.6.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों के लिए कुल ₹10,44,38,616/- (दस करोड़ चौवालीस लाख अड़तीस हजार छः सौ सोलह रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/ अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर, भोजपुर/ संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना एवं संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।
सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक / निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।
7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है ।
12. संबंधित सिविल सर्जन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

Q/10/18

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 43(7)A

पटना, दिनांक : 03-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित सिविल सर्जन / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी-7 / आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

Q/10/18

सरकार के विशेष सचिव

Q

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित यस्मा उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	विद्युत प्रभार (13-04)	किराया महसूल एवं कर (14-01)	आहार/ पथ्य (21-03)	सविदा सेवाएं (28-02)	कुल	अभ्युक्ति
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	अपर निदेशक, यस्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	4000000	5600000	6000000	900000	800000	2000000	5530000	0	20000	1200000	500	400000	0	56920500	626/20.8.18 479/4.7.18
2	अधीक्षक, यस्मा अस्पताल, कोइलवर भोजपुर	2200000	3080000	3300000	0	660000	1100000	3014000	0	0	0	0	0	0	30140000	148/14.8.18
3	अपर मुख्य चि0पदा0, सारण	0	0	0	0	0	0	0	488116	0	0	0	0	0	488116	207/22.5.18
4	अपर मुख्य चि0पदा0, सिवान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	117/21.4.18
5	अपर मुख्य चि0पदा0, बेतिया	6000000	840000	900000	0	180000	300000	8220000	0	0	0	0	0	0	8220000	228/28.8.18
6	अपर मुख्य चि0पदा0, वैशाली	6000000	840000	900000	0	180000	300000	8220000	0	0	0	0	0	0	8220000	349/31.8.18
	कुल	74000000	10360000	11100000	900000	1820000	3700000	101880000	488116	20000	1200000	500	400000	450000	104438616	

(दस करोड़ चौवासीस लाख अड़तीस हजार रु. सौ सौमेह) रु. मात्र

Signature

सरकार के विशेष सचिव

Signature

43(7)A
03-10-18

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	485346000	218800000	74000000	292800000	192546000
2	जीवन योग्य भत्ता (0001-01-03)	72442000	30632000	10360000	40992000	31450000
3	भ्रमण विन्यास भत्ता (0001-01-04)	77271000	32820000	11100000	43920000	33351000
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	5119000	2300000	900000	3200000	1919000
5	विक्रय भत्ता (0001-01-06)	12924000	6229000	1820000	8049000	4875000
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	24147000	10940000	3700000	14640000	9507000
	योग 20-2210.01.200.0001.01 वेतन	677249000	301721000	101880000	403601000	273648000
7	विक्रय प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	309423	488116	797539	202461
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	250000	119000	0	119000	131000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	400000	208000	20000	228000	172000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	300000	152500	0	152500	147500
11	दूरभाष (0001-13-03)	200000	106000	0	106000	94000
12	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	5000000	3350000	1200000	4550000	450000
13	वैधि प्रभार (0001-13-05)	300000	165000	0	165000	135000
14	दाई / पंथाक (0001-13-06)	200000	107500	0	107500	92500
15	विशेष महसूल एवं कर (0001-14-01)	200000	100000	500	100500	99500
15	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	3000000	0	0	0	3000000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	400000	163000	0	163000	237000
17	दवा भंडार (0001-21-02)	600000	0	0	0	600000
18	आहार / पथ्य (0001-21-03)	600000	0	400000	400000	200000
19	तल्लु कार्य (0001-27-01)	1000	0	0	0	1000
20	साविदा सेवार (0001-28-02)	500000	0	450000	450000	50000
19	मशीने एवं उपकरण (0001-52-01)	600000	0	0	0	600000
	कुल योग:-	690800000	306501423	104438616	410940039	279839961

43 (7) अ
03-10-18

सरकार के विशेष सचिव